	बैंक ऑफ़ इंडिया प्रधान कार्यालय	मानव संसाधन विभाग, औद्योगिक संबंध प्रभाग
शाखा परिपत्र सं.: **117/268**		विषय : **मानव संसाधन/2023-24**
उप-विषय : **स्टाफ कल्याण**		
संदर्भ: **एचओ:एचआर:आईआर:एमएम:27**		दिनांक : **02.02.2024**

सभी शाखाओं/कार्यालयों को परिपत्र

मृत्यु राहत योजना
<u>वित्तीय राहत में वृद्धि</u>

मृत्यु राहत योजना हमारे बैंक में 1983 से लागू है। हम अपने मौजूदा शाखा परिपत्र संख्या 77/248 दिनांक 29.10.1983, 91/26 दिनांक 14.05.1997 और 97/58 दिनांक 06.08.2003 का संदर्भ देते हैं। वर्तमान में शाखा परिपत्र सं.107/203 दिनांक 12.02.2014 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार, मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्य को उक्त शाखा परिपत्र में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा तत्काल वित्तीय राहत के रूप में रुपये 1.25 लाख की राशि का भुगतान किया जा रहा है। उक्त योजना के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश हमारे शाखा परिपत्र 105/124 दिनांक 17.10.2011 द्वारा परिचालित किए गए थे।

2. 28.12.2023 को आयोजित केंद्रीय कल्याण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार वित्तीय राहत की राशि को रुपये 1.25 लाख से बढ़ाकर रुपये 1.50 लाख करने का निर्णय लिया गया है। रुपये 1.50 लाख की राशि का भुगतान वेतन पर्ची/डिमांड ड्राफ्ट (रेखित खाता आदाता) के माध्यम से मृतक कर्मचारी के निकटतम संबंधी को संबंधित शाखा/कार्यालय के उचंत खाते को डेबिट करके किया जा सकता है और प्रधान कार्यालय से इसकी प्रतिपूर्ति की मांग की जा सकती है। केवल असाधारण परिस्थितियों में, रुपये 1.50 लाख की कुल राशि में से यदि वास्तव में आवश्यकता हो, तो तत्काल राहत के रूप में उचित राशि (अधिकतम 50,000/-) का नकद भुगतान किया जा सकता है, और इस संबंध में निर्णय संबंधित शाखा प्रबंधक / प्रभारी अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। योजना के अंतर्गत वित्तीय राहत का दावा करते समय संबंधित शाखा/कार्यालय को संबंधित कर्मचारी के मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी चाहिए। हमारे पूर्व शाखा परिपत्र सं.105/124 दिनांक 17.10.2011 में बताए गए अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत रहेंगी।

3. <u>योजना के तहत वृद्धि 01.01.2024 (अर्थात 01.01.2024 को या उसके बाद मृत कर्मचारी) से प्रभावी होगी।</u> यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु 01.01.2024 को या उसके बाद हुई हो और संबंधित शाखा/ कार्यालय द्वारा योजना के तहत मृतक कर्मचारी के निकटतम परिजन को राशि (रु. 1.25 लाख) का भुगतान पहले ही कर दिया गया हो, तो रुपये 25,000/- की अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा और रुपये 1.50 लाख की पूरी राशि की प्रतिपूर्ति प्रधान कार्यालय से मांगी जाएगी। दावे प्राप्त होने पर, प्रधान कार्यालय आईएसओटीएम के माध्यम से संबंधित आंचलिक कार्यालयों को उक्त राशि प्रेषित करेगा।

4. इस परिपत्र की विषय-वस्तु को अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली शाखाओं/कार्यालयों में कार्यरत सभी स्टाफ सदस्यों की जानकारी में लाएं।

शम्पा विश्वास

(शम्पा विश्वास)
महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

बैंक ऑफ इंडिया BANK OF INDIA मुंबई Mumbai O. L. DEPT. H. O. राजभाषा विभाग प्र. का.

	Bank of India Head Office	Human Resources Department, Industrial Relations Division.
Branch Circular No. : **117/ 268**		Sub: **Human Resources / 2023-24 /**
Sub-subject: **Staff Welfare**		
Ref : **HO:HR:IR:MM:27**		Date : **02.02.2024**

CIRCULAR TO ALL BRANCHES / OFFICES

Death Relief Scheme
Enhancement in Financial Relief

The Death Relief Scheme is in existence in our Bank since 1983. We refer to our existing Branch Circular Nos.77/248 dated 29.10.1983, 91/26 dated 14.05.1997 and 97/58 dated 06.08.2003. Presently in terms of instructions issued vide Branch Circular No. 107/203 dated 12.02.2014, an amount of Rs.1.25 lakhs is being paid to the family member of the deceased employee as an immediate financial relief by the Bank as per the guidelines given in the said Branch Circular. The detailed guidelines in respect of the said Scheme was circulated vide our Branch Circular 105/124 dated 17.10.2011.

2. It has now been decided to further enhance the amount of financial relief from Rs.1.25 lakh to Rs.1.50 lakh as per the decision taken in the Central Welfare Committee meeting held on 28.12.2023. An amount of Rs.1.50 lakh may be paid by way of Pay Slip / Demand Draft (Crossed A/c Payee) to the next of kin of the deceased employee by debiting Suspense Account of the concerned Branch / Office and seek reimbursement of the same from Head Office. Only under extraordinary circumstances, a reasonable amount (max 50,000/-) can be paid in cash, if genuinely needed, as an immediate relief, out of the total amount of Rs.1.50 lakh and the decision in this regard may be taken by the concerned Branch Manager / Official in-charge. The concerned Branch / Office should necessarily submit a copy of death certificate of the concerned employee while claiming financial relief under the Scheme. All other terms and conditions stated in our earlier Branch Circular No.105/124 dated 17.10.2011 shall remain same.

3. The enhancement under the Scheme will be applicable **with effect from 01.01.2024** (i.e. the employees deceased on or after 01.01.2024). In case of employees died in harness on or after 01.01.2024 and payment of which (Rs.1.25 lakh) has already been made to the next kin of the deceased employee by the respective Branches / Offices under the Scheme, difference amount of Rs.25,000/- to be paid and reimbursement of the entire amount of Rs.1.50 lakh may be sought from Head Office. On receipt of the claims, Head Office will remit the said amount through ISOTM to the respective Zonal Offices.

4. The contents of this Circular may be brought to the notice of all the staff members working in Branches / Offices under your jurisdiction.

बैंक ऑफ इंडिया BANK OF INDIA प्र. का. औद्योगिक संबंध IND. REL. DIVN. H.O. बी.के. संकुल B.K. COMPLEX

(Shampa Biswas)
General Manager (HR)

z:\d backup\annie\mayur mane\central welfare committee\2023-24\circulars\allzones deathreliefscheme.doc